2 जून, 2009 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 33वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 33.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

एसईजेड स्थापित करने के लिए 23 **फरवरी**, 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के पूरक एजेंडा में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए गए थे। समय के अभाव के कारण उन पर विचार नहीं हो सका और उनको आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	राज्य कोड	क्षेत्र	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
i.	गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	कट्टीजेनाहल्ली एवं वेंकटाला गांव, बंगलौर	केएन	आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर	12	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था
ii.	गोपालन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	कुंडलाहल्ली एवं नारुलाहल्ली गांव, के आर पुरम होबली, बंगलौर	केएन	बायोटेक	10.95	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था
iii.	रीयल गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	हिंदुपुर, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	एपी	बायोटेक	28.34	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था
iv.	कृष्णापट्टनम इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	चिल्लापुर एवं कोटा मंडल, आंध्र प्रदेश	एपी	बहु उत्पाद	1062	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था
v.	एमएम टेक टावर्स	चेंगामनाडू गांव, अलवय, केरल	केएल	आईटीईएस	11.15	हां	हां	8 दिसंबर 2008 और 23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठकों में आस्थगित कर दिया गया था
vi.	एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड	चेंगामनाडू गांव, अलवय, केरल	केएल	आईटी संबद्ध एसईजेड	12.17	हां	हां	8 दिसंबर 2008 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था
vii.	अगस्त्य बायोफार्मा इंडिया लिमिटेड	एरुथनापाथी गांव, पलक्कड जिला, केरल	केएल	जैव प्रौद्योगिकी	10.5	हां	नहीं (शीघ्र मिलने की उम्मीद है)	नया

VIII.	बुलियन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	अमृतसर, पंजाब	पीएन	खाद्य प्रसंस्करण	10	नहीं	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
ix.	वीकेएस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश	एमपी	मुर्गीपालन	171	नहीं	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
X.	वीकेएस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	दिंदुकल जिला, तमिलनाडु	टीएन	कृषि खाद्य प्रसंस्करण सहित मुर्गीपालन	170	नहीं	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
XI.	उड़ान इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	यूपी	आईटी / आईटीईएस सहित ईएच / एसडब्ल्यू	10.20	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
XII.	वी सी इनफोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	यूपी	आईटी / आईटीईएस सहित ईएच / एसडब्ल्यू	10	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
XIII.	दावत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	रायसेन जिला, मध्य प्रदेश	एमपी	चावल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र	10	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
XIV.	रघुनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज	राजपुरा, अमृतसर, पंजाब	पीएन	चावल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र	10	हां	हां	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
XV.	यशप्रभा इंटरप्राइजेज	पथारडी, चिपलुन, रत्नागिरि, महाराष्ट्र	एमएस	जैव प्रौद्योगिकी	10.36	हां	हां, सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए	1 मई 2008 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
xvi.	महाराजा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	नासिक, महाराष्ट्र	एमएस	मल्टी सर्विसेज	106.755	हां	हां, सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए	23 फरवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था
XVII.	लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड	पवई, मुंबई, महाराष्ट्र	एमएस	आईटी / आईटीईएस	10	हां	हां	15 जनवरी 2009 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था

मद संख्या 33.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक	लोकेशन	राज्य कोड	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
i.	सुथरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	कालामासरी, कोच्चि, केरल	केएल	आईटी / आईटीईएस	10.1175	17 मार्च 2006 को आयोजित बीओए बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 16 जून, 2006 को एलओए जारी किया गया था।

मद संख्या 33.3 : उनके एसईजेड में अनेक प्रवेश द्वार के संबंध में मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड के उपर्युक्त अनुरोध पर 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। संबंधित विकास आयुक्त की रिपोर्ट भी मंगाई गई थी।

उक्त बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ था। विचार विमर्श के बाद नोट किया गया कि इस समय तीन गेट हैं अर्थात (क) एसईजेड मेन गेट (ख) इंटर कार्टिंग गेट (ग) प्रोडक्ट गेट।

सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि यदि अनेक गेट लगाए जाते हैं तो निगरानी करने में कठिनाई होगी। फाटकों की संख्या न्यूनतम रखना उपयुक्त होगा। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने दो गेट के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया - एक इंटर कार्टिंग और डीआरआई के परिवहन के लिए और दूसरा गेट कार्मिकों तथा अन्य वस्तुओं की आवाजाही के लिए।

अब विकासक ने पुन: अनुरोध किया है कि विकास आयुक्त, कांडला द्वारा पहले अनुमोदित तीन गेट एसईजेड के अबाध कामकाज के लिए आवश्यक हैं। उनके द्वारा प्रत्येक गेट की आवश्यकता के बारे में प्रदान किया गया स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

प्रोडक्ट गेट : इस समय प्रोडक्ट गेट का उपयोग केवल डीटीए यूनिट द्वारा उपभोग के लिए एसईजेड से हॉट डीआरआई की आवाजाही के लिए हो रहा है। हॉट डीआरआई विशेष रूप से डिजाइन किए गए रिफ्रैक्टरी लाइन कैरियर में मूव करता है और यह विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रांसपोर्टर्स जिसे डीआरआई कैरियर के नाम से जाना जाता है, पर स्थित है। कैरियर उच्च तापमान को सहन करने के लिए विशेष रूप से रेखित है और सामान्य तापमान से किसी संपर्क से बचाव के लिए नाइट्रोजन गैस से सीलबद्ध है। ऐसा इसलिए है कि हॉट

डीआरआई पाइरोफेरस होती है (पुन: आक्सीकरण के कारण हवा के संपर्क में आने से आग लग जाएगी)। हॉट डीआरआई जो पिघली होती है, 800 डिग्री से अधिक के तापमान पर एसईजेड यूनिट में कलेक्ट की जाती है। प्रत्येक ट्रिप में लगभग 90 टन होता है और इस प्रकार इस समय प्रतिदिन लगभग 40-45 ट्रिप हैं।

हॉट डीआरआई कैरियर की ऊंचाई 8 मीटर, चौड़ाई 5.5 मीटर (कैरियर वेज के साथ) और लंबाई 9 मीटर है। इसके लिए स्पष्ट रूप से 16 मीटर चौड़ी सड़क (प्रत्येक साइट पर 5 मीटर) और न्यूनतम 8.5 मीटर के टर्निंग रेडियस की आवश्यकता होती है।

इंटर कार्टिंग गेट पर सड़क की चौड़ाई केवल 12 मीटर है और इस प्रकार इंटर कार्टिंग गेट से हॉट डीआरई वेजल गुजर नहीं सकता है। दूसरा, यदि इंटर कार्टिंग गेट की चौड़ाई बढ़ा भी दी जाए तो हॉट डीआरआई कैरियर डीटीए यूनिट परिसर में नहीं जा सकता है क्योंकि डीटीए यूनिटों के फैक्ट्री भवन आदि हैं जिससे कोई अग्रेतर आवाजाही संभव नहीं होगी। चूंकि उत्पाद की ढुलाई 800 डिग्री से अधिक तापमान पर होती है इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा किसी दुर्घटना से बचने के लिए इसे सामान्य ट्रैफिक से अलग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार सुरक्षा के पहलुओं के अलावा केवल तकनीकी आधार पर हॉट डीआरआई कैरियर इंटर कार्टिंग गेट से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और केवल प्रोडक्ट गेट से एंट्री का प्रावधान करना होगा।

प्रोडक्ट गेट पर नियंत्रण तंत्र - हॉट डीआरआई एसईजेड प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद ही एसईजेड से मूव करता है। डिलिवरी चालान एंट्री बिल की संख्या दर्शाता है जिसके विरुद्ध सामग्री क्लियर की जाती है। उत्पाद का नापतौल प्लांट पर किया जाता है जिसका प्रमाण नापतौल पर्ची होती है। प्रोडक्ट गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं तथा सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जाती है। सीसीटीवी के लिए कंट्रोल रूम निवारक स्टाफ के कार्यालय में स्थित है। सुरक्षाकर्मी उत्पाद गेट पर एक रजिस्टर भी रखते हैं जिसमें तदनुरूपी डिलिवरी चालान और नापतौल पर्ची के साथ डीआरआई कैरियर के लिए प्रवेश / निकास का विवरण दर्ज किया जाता है।

इंटर कार्टिंग गेट - इंटर कार्टिंग गेट वाटर फ्रंट जेट्टी (जो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है) से एसईजेड यूनिटों में थोक में कच्चे माल के आवक मूवमेंट और निर्यात तथा घरेलू बिक्री के लिए (शुल्क के भुगतान के विरुद्ध) निर्मित माल के जावक मूवमेंट के लिए है। इस समय लौह अयस्क, पेलेट आदि जैसी 8000 टन कच्ची सामग्री इंटर कार्टिंग गेट से मूव करती है। जब सभी एसईजेड यूनिटें पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगी तो यह मात्रा बढ़कर 40000 टन प्रतिदिन हो जाएगी। थोक में कच्चे माल और निर्मित माल के मूवमेंट के लिए प्रोडक्ट गेट का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि डीटीए यूनिटों के भवन / यूटिलिटी हैं जिससे कोई एंट्री सुगम नहीं होगी। एसईजेड के मेन गेट से यह मूवमेंट संभव नहीं है क्योंकि इसमें लगभग

15 किलोमीटर का डिटूअर शामिल होता है और इससे समय, ऊर्जा, ईंधन की क्षति के अलावा भारी ट्रैफिक की भीड़-भाड़ का मार्ग प्रशस्त होगा तथा सुरक्षा जोखिम भी पैदा होंगे।

मेन गेट - मेन गेट की डिजाइन ऐसी है कि इसकी चौड़ाई लगभग 100 फीट तथा छतरी का आकार 165 X 65 फीट एवं ऊंचाई 40 फीट है।

एसईजेड के मुख्य प्रवेश द्वार से इंटर कार्टिंग गेट को प्रतिस्थापित न करने के जो कारण विकासक द्वारा दिए गए हैं वे अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है। तकनीकी एवं लॉजिस्टिक कठिनाइयों के कारण विकासक ने निम्नलिखित व्यवस्था के लिए अनुरोध किया था :

क्र. सं.	गेट का विवरण	उद्देश्य
1	एसईजेड मेन गेट	एसईजेड प्रचालन के लिए सभी तरह के मूवमेंट (प्रवेश / निकास) के लिए
2.	इंटर कार्टिंग गेट	पोर्ट / जेट्टी एरिया की ओर थोक में कच्चे माल के प्रवेश / निकास के लिए
3	प्रोडक्ट गेट	केवल एचडीआरआई कैरियर के लिए

सभी फाटकों तथा संबद्ध गतिविधियों के फोटोग्राफ अनुबंध 2 के रूप में संलग्न हैं। इस विभाग ने फाइल पर अनुरोध की जांच की और विकासक को अनुरोध पर अंतिम निर्णय न होने तक 31 मई 2009 तक उपर्युक्त तीनों फाटकों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की। सीमा शुल्क विभाग की टिप्पणियां भी मंगाई गईं। यह अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.4 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड को 9 जून 2008 को 103.64.57 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया। मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 सितंबर 2008 और 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार बहुत स्पष्ट नहीं था। अब सह विकासक ने संशोधित सह विकासक करार फिर से प्रस्तुत किया है। यह अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंबायोसिस टेक्नोलॉजी का अनुरोध

आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड को 28 **दिसंबर** 2006 **को** 36 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स सिंबायोसिस टेक्नोलॉजीज ने उक्त एसईजेड के** 2 **एकड़** (0.81 **हेक्टेयर**) **के क्षेत्रफल के लिए पूर्ण आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक** 3 **जनवरी** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(iii) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महाथी साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड को 28 **दिसंबर** 2006 **को** 36 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स महाथी साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड के** 2 **एकड़ के क्षेत्रफल के लिए पूर्ण आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक** 3 **जनवरी** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(iv) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स नुनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड को 28 **दिसंबर** 2006 **को** 36 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स नूनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड के** 3 **एकड़** (2.21 **हेक्टेयर**) **के क्षेत्रफल के लिए पूर्ण आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक** 3 **जनवरी** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(v) मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोयंबटूर, तमिलनाडु में स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) का अनुरोध

उक्त एसईजेड कोयंबटूर, तमिलनाडु में 10 **जुलाई** 2007 **को** 10.49 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) ने उक्त एसईजेड के** 4.10 **हेक्टेयर में आवासीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य देखरेख तथा मनोरंजन सुविधा के विकास एवं अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव** 23 **फरवरी** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सूचीबद्ध था। इसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि करार में उल्लिखित वाणिज्यिक करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अब सह विकासक ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.5 : मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत की आपूर्ति के लिए एसईजेड में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अडानी पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एसईजेड, ईओयू और अन्यों को विद्युत की आपूर्ति के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 293-88-10 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 10 **मई** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक के अनुरोध पर विद्युत उत्पादन की क्षमता को** 2000 **मेगावाट से बढ़ाकर** 2640 **मेगावाट करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा** 8 **अगस्त** 2007 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।**

मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत की आपूर्ति के लिए एसईजेड में विद्युत उत्पादन की क्षमता को पुन: 2640 **मेगावाट से बढ़ाकर** 5040 **मेगावाट करने के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के अनुरोध पर** 23 **फरवरी** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। उक्त बैठक में, गुजरात सरकार के प्रधान सचिव ने कहा कि गुजरात सरकार की विद्युत उत्पादन नीति के अनुसार ऊर्जा विभाग ने** 5000 **मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए मैसर्स अडानी पावर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुमान अगले** 10 **वर्षों में विद्युत की आवश्यकता पर आधारित है। जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया उनमें से एक विकासक के पास उपलब्ध क्षेत्रफल है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि विद्युत का वर्तमान उपयोग बहुत कम है और बेहतर होगा कि विकासक विद्युत उपयोग के लिए स्पष्ट योजना के साथ वापस आए जिसके आधार पर अनुमोदन बोर्ड निर्णय ले सकता है। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर निर्णय को आस्थगित करने का निर्णय लिया।**

अब गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट और एसईजेड में विद्युत की मांग के बारे में अनुमान प्रदर्शित किया है। उन्होंने विकासक का पत्र संलग्न किया है जिसमें अगले 10 वर्षों में विद्युत की मांग का अनुमान दर्शाया गया है। इसके बाद विकासक ने मांग में संशोधन किया जिसे नीचे सारणी के रूप में दर्शाया गया है :

उद्योग	क्षमता (मेगावाट)
मेटल युनिट (एल्युमिनियम स्मेल्टर, कॉपर स्मेल्टर एवं जिंक सहित)	1800
स्टील प्लांट, रोलिंग मिल तथा फोर्जिंग और कास्टिंग यूनिट	1000
सीमेंट प्लांट	200
केमिकल प्लांट (कॉस्टिक सोडा एवं सोडा ऐश सहित)	300
उपर्युक्त के अलावा यूनिटें और इनफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं	1000
अन्य एसईजेड को आपूर्ति	900
कुल	**5200**

विकासक द्वारा प्रदान किया गया औचित्य निम्नानुसार है :

(i) चूंकि विनिर्माण यूनिटों की तुलना में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि लंबी होती है इसलिए इसके लिए आयोजना काफी अग्रिम में करनी होती है। प्रतिस्पर्धी दर पर विद्युत प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने विशाल क्षमता वाला पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ii) एमपीएसईजेड 10000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर नियोजित है तथा इसमें प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होगा। उनके परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के अनुसार मेगा परियोजनाओं से भिन्न मुंद्रा एसईजेड में विभिन्न उद्योगों जैसे कि आटो कंपोनेंट, केमिकल, लाइट एंड हैवी इंजीनियरिंग, फूड एंड एग्रो, फार्मा, प्लास्टिक, रत्न एवं आभूषण, स्टोन, टेक्सटाइल आदि को आकर्षित करने की क्षमता है।

(iii) विकासक ने क्षेत्र के अन्य एसईजेड को विद्युत की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए कम क्षमता के पावर प्लांट की स्थापना लागत प्रभावी नहीं होगी।

(iv) विकासक ने यह भी कहा कि आर्थिक मंदी के कारण पावर प्लांट की कीमत में कटौती हुई है और इसलिए पूंजी व्यय घटा है और विद्युत उत्पादन की लागत कम हुई है। विकासक ने अतिरिक्त क्षमता के लिए कम लागत तथा सहमत डिलिवरी अनुसूची पर प्लांट एवं मशीनरी के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध किया है जो 2013 में ही उपलब्ध होगा। कार्यान्वयन में विलंब से लागत और डिलिवरी अनुसूची में वृद्धि होगी जिससे विद्युत की लागत कम करने की योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.6 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) हु डी गांव, के आर पुरम, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोपालन इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

हू डी गांव, के आर पुरम, बंगलौर में मैसर्स गोपालन इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 10.3092 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 16 **फरवरी** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासीय अपार्टमेंट	14000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	14000
3.	रिटेल / शॉपिंग / ऑफिस / बैंक	14000
4.	फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट / कॉफी शॉप	5000
5.	एंटरटेनमेंट मल्टीप्लेक्स	2000
6.	कर्मचारी कल्याण सुविधा - चिकित्सा केन्द्र	1000
7.	विद्युत उत्पादन	
	कुल	50000

(ii) कक्कानाड, एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोपार्क का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 30.7683 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 28 **सितंबर** 2006 **को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद** 28 **अगस्त** 2007 **को** 1.8563 **हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र
1.	अतिथि गृह	25,000 वर्गफीट

(iii) नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 **मई** 2007 **को** 1511.51 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद** 66.90 **हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 1578.41 **हेक्टेयर हो गया। विकासक ने मेन गेट के पास तोल सेतु के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सामग्रियों के नापतौल की आवश्यकता होती है इसलिए आवश्यक साजोसामान के साथ** 16 X 3 **प्लेटफार्म**

पर 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले तोल सेतु को स्थापित करने की आवश्यकता है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) तहसील और जिला झर्सुगुडा, ओडिशा में एल्युमिनियम एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा तहसील और जिला झर्सुगुडा, ओडिशा में एल्युमिनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.3092 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 16 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

(i) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां
(ii) कार्यालय स्थान
(iii) सर्विस अपार्टमेंट
(iv) क्लीनिक और/या चिकित्सा केन्द्र और/या अस्पताल
(v) मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
(vi) व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
(vii) पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
(viii) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
(ix) रेल हेड
(x) प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
(xi) फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
(xii) कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
(xiii) बस बे
(xiv) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस

(v) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड एसईजेड के 293.8810 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए कच्छ जिला, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशनल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड

में अनुमोदित सह विकासक है। सह विकासक ने उक्त एसईजेड में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

(i) **फायर स्टेशन और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम**
(ii) **कामगार कैंटीन, कैफेटेरिया, चिकित्सा केन्द्र जैसी सुविधाएं**
(iii) **इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं**
(iv) **रेल हेड**
(v) **मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)**

(vi) महादेवपुरा, के आर पुरम, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोपालन इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स गोपालन इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महादेवपुरा, के आर पुरम, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 14.2903 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 4 **मई** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**
1.	**सर्विस अपार्टमेंट**	25,000
2.	**अस्पताल / कर्मचारी कल्याण सुविधा - चिकित्सा केन्द्र / रिटेल / शॉपिंग / कार्यालय / बैंक**	12,000
3.	**रिटेल शॉपिंग / ऑफिस / बैंक**	25,000
4.	**फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट / कॉफी शॉप**	5,000
5.	**एंटरटेनमेंट एरिया**	14,000
6.	**सम्मेलन हाल**	14,000
7.	**विद्युत**	1000 **मेगावाट**

(vii) नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चर्म तथा चर्म उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड द्वारा टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 101.37 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 4 **मई** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र**	**क्षमता / क्षेत्रफल**

1.	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां	✓	✓	पार्क के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश एवं निकास सुरक्षा / पुलिस कार्यालय, लगभग 15 सुरक्षा बिंदु (सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान डिफाल्ट के रूप में शामिल है जिसका क्षेत्रफल 500 मीटर से अधिक नहीं है)
2.	कार्यालय स्थान / शॉपिंग क्षेत्र / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स	✓	✓	प्रशासन भवन - 1500 वर्ग मीटर सीमा शुल्क कार्यालय - 750 वर्ग मीटर आईएससी – 750 वर्ग मीटर पार्क प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्यालय - 1000 वर्ग मीटर
3.	आवास		✓	250 प्रबंधक - 50000 वर्ग मीटर 750 कार्यपालक - 120500 वर्ग मीटर 7,500 कामगार – 168750 वर्ग मीटर
4.	होटल / सर्विस अपार्टमेंट		✓	होटल – 60000 वर्ग मीटर अतिथि गृह – 1000 वर्ग मीटर
5.	क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र / अस्पताल		✓	500 वर्ग मीटर
6.	स्कूल / तकनीकी संस्थान / शैक्षिक संस्थान		✓	3500 वर्ग मीटर
7.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)		✓	सिंगल लेवल
8.	व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र		✓	4500 वर्ग मीटर
9.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र		✓	--
10.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	✓	✓	पार्क के अंदर 4 मेगावाट बैकअप पावर
11	प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली	✓	✓	--
11.	फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	✓	✓	फायर स्टेशन - 250 वर्ग मीटर
12.	क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं		✓	2000 वर्ग मीटर
13.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि एटीएम, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं		✓	बैंक एवं एटीएम – 250 वर्ग मीटर डाक घर – 350 वर्ग मीटर क्रेच – 250 वर्ग मीटर पुस्तकालय – 400 वर्ग मीटर
14.	खेल के मैदान		✓	--

15.	**बस बे**	✓	✓	--
16.	**कैफेटेरिया**, **फूड कोर्ट**, **रेस्टोरेंट**, **कॉफी शॉप**, **कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस**		✓	**साझी रसोईं** – 500 **वर्ग मीटर** **विकेन्द्रीकृत कैंटीन** / **कैफेटेरिया** - 1000 **वर्ग मीटर**

मद संख्या 33.7 : अधिकृत प्रचालनों में संशोधन

(i) मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालन में संशोधन

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय परिसर के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (**पूर्व में मैसर्स हरियाणा टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से विख्यात**) **के अनुरोध पर** 8 **अगस्त** 2006 **को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया और मंजूरी प्रदान की गई। इस आशय का मंजूरी पत्र** 29 **अगस्त** 2006 **को जारी किया गया।**

विकासक ने निवेदन किया है कि उन्होंने अपने मास्टर प्लान में क्षेत्र के आंतरिक वाशिंदों पूरी रात ठहरने की सुविधा का प्रस्ताव किया है क्योंकि अपने कुछ स्टाफ के लिए पूरी रात ठहरने की कुछ सुविधा स्थापित करना आईटी / आईटीईएस कंपनियों के लिए पूर्वापेक्षा है। इसके स्थान पर उन्हें अधिक प्रचालनों के रूप में अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार / मात्रा के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय परिसर की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उनके अनुरोध पर विकास आयुक्त ने क्षेत्र के 100 **प्रतिशत क्षेत्र को प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में मंजूरी प्रदान की थी जिसका अभिप्राय यह है कि क्षेत्र केवल वाशिंदों के प्रयोग के लिए होगा तथा किसी बाहरी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।**

चूंकि अब कोई गैर प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं है इसलिए विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में आंतरिक वाशिंदों के लिए होटल की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे इसे होटल का नाम देना पसंद करेंगे (**हालांकि यह अतिथि गृह जैसा है**) **ताकि यह ग्राहक हितैषी हो सके और उनके अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक प्रयोक्ताओं को गुणवत्ता संबंधी मानसिक सहूलियत प्रदान की जा सके। यह केवल एसईजेड के ग्राहकों के प्रयोग के लिए होगा। विकासक ने यह भी कहा है कि मल्टी लेवल कार पार्किंग के छत पर रूफ टॉप हेलीपैड बनाने का भी एक मुद्दा है क्योंकि अधिकृत प्रचालनों के लिए उनके मंजूरी पत्र में इसका उल्लेख नहीं है।**

राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 **के अनुसार** 60 **मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। चूंकि उनके भवन की ऊंचाई** 60 **मीटर से अधिक है और यह एक सांविधिक आवश्यकता है, इसलिए विकासक ने कार पार्क के छत पर रूफ टॉप हेलीपैड के**

लिए अनुरोध किया है। विकासक के उपर्युक्त दो अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(ii) मैसर्स टीआरआईएल इनफोपार्क लिमिटेड द्‌वारा तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों में संशोधन

मैसर्स टीआरआईएल इनफोपार्क लिमिटेड द्‌वारा तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.24.225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 जनवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। 28126 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में होटल (300 कमरे) सहित एकीकृत सम्मेलन केन्द्र (1500 सीटर) के लिए विकासक के अनुरोध पर 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया और मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

अब विकासक ने यह कहा है कि वे दक्षिण भारत द्‌वारा प्रयोग के लिए इस सम्मेलन केन्द्र को उपलब्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे भारतीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे विदेशी मुद्रा का निवल प्रवाह सृजित करने में मदद मिलेगी। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 1500 सीट वाले एकीकृत सम्मेलन केन्द्र के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।

(iii) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई मंजूरी में संशोधन

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी, जो निम्नानुसार था :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्ग मीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्ग मीटर में)
1.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और कैटरिंग की सुविधाएं (4)	1000	1000
2.	प्रशिक्षण कक्ष / सम्मेलन हाल / प्रेक्षागृह (4)	2000	2000

अब विकासक ने निवेदन किया है कि 262 एकड़ में फैला उनका संपूर्ण एसईजेड प्रसंस्करण क्षेत्र है। ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों के लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का सीमांकन कठिन होगा और अनुरक्षण की दृष्टि से अनुचित कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इसे ध्यान में रखते हुए विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में इन अनुमोदित गतिविधियों की मंजूरी प्रदान करके अनुमोदन में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.8 : एसईजेड के क्षेत्रफल एवं लोकेशन में परिवर्तन के लिए अनुरोध

(i) भीमासार, तालुक अंजार, जिला कच्छ, गुजरात में पॉलिमर आधारित एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन तथा क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

भीमासार, तालुक अंजार, जिला कच्छ, गुजरात में पॉलिमर आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 30 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 7 जनवरी, 2008 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। लोकेशन को भीमासार से बदलकर कुटडा तालुक करने के प्रस्ताव पर 19 अक्टूबर 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे आस्थगित कर दिया गया था। अब विकासक ने स्वयं द्वारा निवेदित नए लोकेशन पर क्षेत्रफल को 101.17 हेक्टेयर से बढ़ाकर 107.25 हेक्टेयर का अनुरोध किया है। विकासक ने प्रस्तावित एसईजेड के मानचित्र के साथ भूमि पर कब्जा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त हो गई है। क्षेत्रफल में वृद्धि तथा लोकेशन में परिवर्तन के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.9 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) 3ए, सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा 3ए, सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 16.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 15 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के 16.19 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्रफल में 1.49 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 18.40 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने पंजीकृत पट्टा विलेख, मानचित्र के साथ नोएडा प्राधिकरण से स्वामित्व का कब्जा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमएडीसी का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 मई 2007 को 1511.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 66.90 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1578.41 हेक्टेयर हो गया। विकासक ने मिहान एसईजेड के क्षेत्रफल में 323.29 हेक्टेयर की कटौती करने और 37.66 हेक्टेयर के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को अपने पास

रखने के लिए एसईजेड के साथ सह विकासक के प्रचालनों के सन्निकट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) कोयंबटूर के पास कीरांथम गांव, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

उक्त एसईजेड 47.32 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में भूमि के दो और टुकड़ों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूखंड अधिसूचित क्षेत्र से सटे हैं तथा निरंतरता बनाए रखने के लिए उनकी घेराबंदी की जा सकती है। रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि भूमि विकासक के कब्जे में और यह भी कहती है कि दोनों छोर क्लियर, रिक्त हैं तथा उन पर कोई संरचना, रास्ता आदि नहीं है। एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) वल्लारपदम में पोर्ट में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अतिरिक्त भूमि जोड़ने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विकासक के रूप में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ 115.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पुथुव्यपीन में पोर्ट आधारित एसईजेड 2 नवंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 31.9711 हेक्टेयर शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि के संबंध में मानचित्र प्रस्तुत किया है। एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) पेरुंगलाथूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

पेरुंगलाथूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 28 सितंबर 2006 और 24 सितंबर 2007 को क्रमश: 10 हेक्टेयर और 13.40.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि उन्होंने 100 प्रतिशत प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में एसईजेड को सीमांकित किया है। वे उम्मीद करते हैं कि एसईजेड के क्रियाशील हो जाने पर रोजगार में काफी वृद्धि होगी। चूंकि एसईजेड के आसपास सामाजिक अवसंरचना की कोई सुविधा नहीं है तथा एसईजेड मॉडल एसईजेड के अंदर मल्टीप्लेक्स स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए उन्होंने 07.75.78 हेक्टेयर के एक भूखंड को विमुक्त करने

का प्रस्ताव किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि चूंकि भूमि / भवन की बिक्री एसईजेड के कर्मचारियों को भी अनुमत नहीं है इसलिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करने का उनका प्रयास सफल नहीं होगा। आवासीय क्षेत्र के लिए मांग में वृद्धि को पूरा करने तथा भूमि के मूल्य में वृद्धि का लाभ उठाने और इस प्रकार नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए विकासक ने अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल के एक भाग को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.10 : क्षेत्र को परिवर्तित करने का अनुरोध

(i) श्रीनगर तथा रिविरयाल गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के निर्माण एवं विकास की सुविधा स्थापित करने के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपस्ट्रीम वर्टिकल चैन या डाउनस्ट्रीम में निवेश करने के लिए प्रावधान के साथ सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर फोटोवाल्टिक सेल एवं माड्यूल तथा सोलर फोटोवाल्टिक थिन फिल्म माड्यूल को शामिल करके क्षेत्र के परिवर्तन के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स फैब सिटी एसपीवी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड के साथ सेमीकंडक्टर सुविधा के निर्माण और विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 120.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 15 जनवरी 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने कहा है कि भारत सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने तथा अन्य सूक्ष्म एवं नैनो टेक्नोलॉजी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम घोषित की है। यह पैकेज सभी सेमीकंडक्टर एवं इको सिस्टम यूनिटों अर्थात लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले सहित डिस्प्ले, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, कोई अन्य नया डिस्प्ले, स्टोरेज डिवाइस, सोलर सेल, फोटोवालिटक, अन्य उन्नत सूक्ष्म एवं नैनो टेक्नोलॉजी उत्पादों के निर्माण, असेंबली तथा सभी उत्पादों के परीक्षण के लिए होगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा योजना के प्रचालन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में इस बात का उल्लेख है कि फैब यूनिट सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन या वैफर, चिप डिजाइन, असेंबल टेस्ट मार्क एवं पैकेज (एटीएमपी) के निर्माण में डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम निवेश को लिंक कर सकती है। इसकी वजह से विकासक वर्तमान सेक्टर में डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम वर्टिकल चैन में निवेश के लिए प्रावधान के साथ सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर फोटोवाल्टिक सेल एवं मॉड्यूल तथा सोलर फोटोवाल्टिक थिन फिल्म माड्यूल को शामिल करना चाहता है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.11 : कंपनी में आठ और निदेशकों को शामिल करने को रिकार्ड में लेने तथा पूंजी संरचना में वृद्धि करने और एफडीआई को भी शामिल करने के लिए एसआईपीसीओटी

द्वारा श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टैप्प सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स टैप्प सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रानिक एवं दूरसंचार के उपकरणों, साफ्टवेयर के निर्माण तथा सर्विस आदि के लिए एसआईपीसीओटी द्वारा श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एसईजेड में अनुमोदित सह विकासक है। विकासक ने अब सूचित किया है कि उन्होंने अपना पंजीकृत कार्यालय शिफ्ट कर लिया है। उन्होंने मौजूदा दो प्रवर्तक निदेशकों के अलावा कंपनी में आठ और निदेशकों की भी नियुक्ति की है। उन्होंने इविटी फंड को भी शामिल किया है जिससे उनकी अधिकृत पूंजी 1 मिलियन रुपए से बढ़कर 1,50,00,000 रुपए हो गई है और प्रदत्त इक्विटी पूंजी 10,00,000 रुपए से बढ़कर 38,35,250 रुपए और प्रदत्त तरजीही पूंजी शून्य से बढ़कर 23,00,000 रुपए हो गई है। एफडीआई के समावेशन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(क) इक्विटी / इक्विटी लिखत के लिए तथा 12,74,06,000 रुपए का शेयर प्रीमियत सहित (अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयर - 6,20,50,000 रुपए; अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - 1,09,28,800 और इक्विटी शेयर – 5,44,27,200 रुपए)

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ / संज्ञान में लेने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.12 : एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (क) के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण, प्लास्टिक स्क्रैप / अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल यूनिट के एलओए की अवधि बढ़ाना

(i) मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड में यूनिट के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण

प्लास्टिक एगलोमरेट्स / ग्रेन्यूल्स के निर्यात उत्पादन के लिए मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड नोएडा एसईजेड में अनुमोदित यूनिट है। यूनिट ने 31 मार्च 2008 को प्रचालन के पहले 10 वर्ष पूरे किए तथा अगले 5 वर्षों के लिए एलओए के नवीकरण के लिए यूनिट का प्रस्ताव एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (क) के अनुसार अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया। वाणिज्य विभाग ने एक वर्ष की अवधि के लिए यूनिट के एलओए के नवीकरण को मंजूरी प्रदान की तथा इसकी वैधता अवधि 31 मार्च 2009 को समाप्त हो जाएगी।

यूनिट ने अगले 5 वर्षों लिए एलओए के नवीकरण के लिए पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अगले 5 वर्षों के लिए संशोधित अनुमानित निर्यात और आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. पांच वर्षों के दौरान निर्यात : 14460.00 लाख रुपए

2. **पूंजी माल का आयात** : **शून्य**
3. **कच्चे माल का आयात** : 10845.00 **लाख रुपए**
4. **विदेश यात्रा** : 25.00 **लाख रुपए**
5. **एनएफई अर्जन** : 3590.00 **लाख रुपए**

चूंकि यह प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रोसेस करनी वाली यूनिट है इसलिए मामले पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.13 : विलायत, जीआईडीसी, भड़ूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कैप्टिव पावर प्लांट से अनन्य रूप से कोयले की प्राप्ति (आवक) और उड़न राख के निस्तारण (जावक) के लिए आपातकालीन निकास द्वार के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में अनेक प्रवेश एवं निकास बिंदुओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक ने सूचित किया है कि चूंकि क्षेत्र के अंदर निर्माण की गतिविधियां चल रही हैं इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फाटकों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि सभी फाटकों को सुरक्षाकर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तथा मूवमेंट के समुचित रिकार्ड रखे जाएंगे। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.14 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 10.12 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 9 **जून** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अर्थव्यवस्था में मंदी तथा समग्र उद्योग में तरलता की कमी के कारण उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने वचन दिया है कि वे एसईजेड अधिनियम के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करेंगे। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(ii) 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 10.12 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 22 **अगस्त** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अर्थव्यवस्था में मंदी तथा समग्र उद्योग में तरलता की कमी के कारण उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने वचन**

दिया है कि वे एसईजेड अधिनियम के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करेंगे। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) 10.4813 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 10.4813 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 जून 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अर्थव्यवस्था में मंदी तथा समग्र उद्योग में तरलता की कमी के कारण उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने वचन दिया है कि वे एसईजेड अधिनियम के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करेंगे। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) 10.239 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 7 फरवरी 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अर्थव्यवस्था में मंदी तथा समग्र उद्योग में तरलता की कमी के कारण उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने वचन दिया है कि वे एसईजेड अधिनियम के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करेंगे। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.15 : औपचारिक अनुमोदनों को वापस लेना

(i) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में टेक्सटाइल क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में टेक्सटाइल क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 21 अगस्त, 2006 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। विकासक ने कहा है कि राज्य एसईजेड नीति को वापस ले लिए जाने के कारण तथा राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भी उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विविध इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 21 अगस्त, 2006 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। विकासक ने कहा है कि राज्य एसईजेड नीति को वापस ले लिए जाने के कारण तथा राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भी उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.16 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश / मानदंड 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले आईटी / आईटीईएस / रत्न एवं आभूषण / बायोटेक / गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड आदि तथा स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	ऐसे मामलों में दूसरी बार अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए
बहु उत्पाद	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) **जैसा कि ऊपर बताया गया है, निम्नलिखित एसईजेड उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं :**

क्र. सं.	विकासक का नाम	क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत

(क)	मैसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड	बहु उत्पाद	गांव बुधनिया, बड़ा बंगारडा, इंदौर, मध्य प्रदेश	शून्य
(ख)	मैसर्स वीडियोकॉन रियलिटी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	बहु उत्पाद	ग्नाडोली, अदगांव, जिला औरंगाबाद	शून्य
(ग)	मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	बहु उत्पाद	जिला रायगढ़	10 प्रतिशत
(घ)	मैसर्स रेवास पोर्ट्स लिमिटेड	बहु उत्पाद	रेवास जिला, रायगढ़, महाराष्ट्र	28.87 प्रतिशत भूमि खरीदी है। शेष भूमि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतरण के लिए अनुमोदित की गई है तथा जुलाई 2009 में पट्टा विलेख निष्पादित होगा।

उपर्युक्त अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(ii) दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

2025 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बरगवान, जिला सीधी, मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट के पावर प्लांट के साथ एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 6 नवंबर, 2006 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। विकासक को सैद्धांतिक अनुमोदन की वैद्धता अवधि एक साल के लिए अर्थात 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ाने के लिए पत्र 3 अक्टूबर 2007 को जारी किया गया था।

विकासक ने अपने पत्र दिनांक 13 अगस्त 2008 के माध्यम से अर्थात वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व एक और साल के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। इस मामले में सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता 1 नवंबर 2008 तक थी।

विकासक ने सूचित किया था कि 3517 एकड़ भूमि का अधिग्रहण उन्नत चरण पर है। 3018.84 एकड़ निजी भूमि तथा 498.75 एकड़ सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ करार किया गया है। अप्रैल 2009 तक 3018.84 एकड़ निजी भूमि पर भौतिक कब्जा शुरू हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव के कारण तथा नया सिंगरौली जिला सृजित होने के कारण भी विलंब हुआ।

दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उक्त अनुरोध पर फाइल पर विचार किया गया। जांच करने पर यह पाया गया कि हालांकि प्रस्ताव दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करता है, फिर भी विकासक ने काफी गंभीर प्रयास किए हैं। तदनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि

मूल वैधता अवधि के बाद 1 साल के लिए बढ़ाई गई। विशेष मामले के रूप में पुष्टि के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.17 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

इन मामलों पर फाइल पर विचार किया गया है तथा एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है। इनको अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(i) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

23 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(ii) मधुपुर, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 16 जून 2009 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एल एंड टी फोनिक्स इनफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एपी टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विख्यात) का अनुरोध

15 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(iii) 24 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

23 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है

(iv) 24 अगस्त 2009 के बाद औपचरिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

23 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(v) 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कर्नाटक बायोटेक्नोलॉजी एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का अनुरोध

25 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(vi) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में आटोमोबाइल तथा आटोमोबाइल कंपोनेंट के लिए 7 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

6 अप्रैल 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(vii) गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल एसईजेड के लिए 17 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

16 **अगस्त** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(viii) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल / आटोमोबाइल कंपोनेंट के लिए 14 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी का अनुरोध

13 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(ix) 31 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सेरीन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

30 **अक्टूबर** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(x) 21 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यू फाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

20 **अगस्त** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xi) 23 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

22 **अगस्त** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xii) रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 **अगस्त** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xiii) अहमदाबाद, गुजरात में फार्मास्युटिकल एसईजेड के लिए 16 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सीपीएल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का

अनुरोध 15 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xiv) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी पार्क के लिए 15 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडीकैप्स आईटी एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

14 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xv) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी पार्क के लिए 27 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सीएमसी लिमिटेड का अनुरोध

26 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xvi) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 27 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

26 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xvii) मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 27 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

21 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xviii) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 31 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

30 **अक्टूबर** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xix) वर्ना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में बहु सेवा एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

24 **अक्टूबर** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xx) रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड के लिए 27 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिनिमा मिडोज लिमिटेड (क्लैरिजेज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड में परिवर्तित करने के लिए) का अनुरोध

26 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(xxi) पोंडा, गोवा में फर्मास्युटिकल तथा रासायनिक उत्पाद एसईजेड के लिए 23 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडीटैब स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

22 **अगस्त** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

मद संख्या 33.18 : 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज, केएएसईजेड में यूनिट का अनुरोध

मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज, **केएएसईजेड में यूनिट को** 23 **सितंबर** 1995 **को एलओपी जारी की गई थी। यूनिट ने** 1996 **में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। यूनिट ने अगले** 5 **वर्षों के लिए एलओपी के नवीकरण / विस्तार के लिए आवेदन किया है। मामले पर विस्तृत नोट अनुबंध** 4 **के रूप में संलग्न है। उपर्युक्त अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.19 : **सचिन**, **सूरत**, **गुजरात में एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने के संबंध में अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स बिंदल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील**

मैसर्स बिंदल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सूरत अपैरल पार्क, **सचिन**, **सूरत**, **गुजरात में यूनिट स्थापित करने के लिए विकास आयुक्त**, **सूरत एसईजेड को आवेदन प्रस्तुत किया था। अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग**, **सूरत**-1 **ने लिखित रूप में सूचित किया है कि विभिन्न स्तरों पर ऐसे मामले मौजूद हैं जिनमें आवेदक के विरुद्ध भारी मात्रा में शुल्क लंबित है। आवेदक ने कहा है कि उन्होंने पॉलिस्टर विस्कोस तथा सिल्क फैब्रिक्स मेड अप और गारमेंट के निर्माण और निर्यात के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्ताव में** 40 **करोड़ रुपए के वार्षिक मूल्य के भौतिक निर्यात की क्षमता है। मैसर्स बिंदल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.20 : 2.40 मीटर की ऊंचाई वाली चारदीवारी के ऊपर 0.6 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग लगाने की शर्त में ढील के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कालमबोली, **नवी मुंबई**, **महाराष्ट्र में मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 28 **अगस्त** 2008 **को** 179 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने विकास आयुक्त द्वारा** 2.40 **मीटर ऊंची चारदीवारी तथा** 0.60 **मीटर की कटीले तार की फेंसिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। विकासक ने निवेदन किया है कि वे बहु सेवा एसईजेड का विकास कर रहे हैं जिसमें आईटी / आईटीईएस**, **बायोटेक**, **अनुसंधान**, **परामर्श आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं तथा इन सेवाओं का संबंध माल की**

हैंडलिंग से नहीं है और इसलिए चोरी या सेंधमारी की संभावना नहीं है। चारदीवारी / फेंसिंग की मौजूदगी ज्यादातर अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र की घेराबंदी के लिए है। अत: क्षेत्र की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2.40 मीटर की ऊंचाई वाली चारदीवारी पर्याप्त है। 2.40 मीटर ऊंची चारदीवारी के ऊपर कटीले तार की फेंसिंग करने से हमारे बहु सेवा एसईजेड की सुरक्षा में कोई और वृद्धि नहीं होगी। विकासक ने 2.40 मीटर ऊंची चारदीवारी के ऊपर 0.6 मीटर ऊंची कटीले तार की फेंसिंग लगाने की शर्त में ढील देने का अनुरोध किया है।

(ii) 1.8 मीटर की चारदीवारी को अनुमोदित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड 1578.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को मिहान एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र की चारदीवारी के नक्शे की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें कुर्सी स्तर के ऊपर 1.8 मीटर के रूप में चारदीवारी की ऊंचाई तथा 0.6 मीटर ऊंची कटीले तार की फेंसिंग दर्शाई गई है। एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान करने के लिए ड्राइंग के साथ अनुरोध अग्रेषित किया है।

मद संख्या 33.21 : दूसरे गेट के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड 20 दिसंबर 2006 को 1718.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निवेदन किया है कि दाहेज एसईजेड दो भागों में है जो लगभग 4.5 किलोमीटर के कोरिडोर से कनेक्ट हैं। भाग 1 का भूमि क्षेत्र 1052 हेक्टेयर और भाग 2 का भूमि क्षेत्र 458 हेक्टेयर है। एसईजेड के इन दोनों भागों का राज्य हाइवे से सीधा संपर्क है जो दाहेज और भड़ूच को कनेक्ट करता है जो चार लेन की सड़क है तथा अब उसे छ: लेन की सड़क में परिवर्तित किया जा रहा है। एसईजेड के भाग 1 को राज्य हाइवे रोड पर इंट्रेंस दिया गया है। एसईजेड में प्रवेश करने के लिए संपर्क सड़क तथा इंट्रेंस गेट का निर्माण किया गया है।

एसईजेड के भाग 2 में प्रवेश करने के लिए भाग के इंट्रेस गेट से होकर जाना पड़ता है और एसईजेड के भाग 2 के साथ कनेक्टिंग कोरिडोर सहित एसईजेड के संपूर्ण भाग 1 से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा एसईजेड के इन दोनों भागों को कनेक्ट करने वाले कोरिडोर की चौड़ाई 20 / 20 मीटर है जो हैवी ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए अपर्याप्त है। कुछ और भूमि प्राप्त करके डीएसएल ने कोरिडोर को चौड़ा करने का प्रयास किया है परंतु सफल नहीं हो सका है। संकीर्ण कोरिडोर के कारण यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। एसईजेड चार लेन के राज्य हाइवे रोड से भी सीधे जुड़ा है। राज्य हाइवे से एसईजेड के इस भाग को इंट्रेंस प्रदान करने से ट्रैफिक का मूवमेंट सुगम होगा और एसईजेड की आंतरिक सड़कों से होकर

यात्रा करने की दूरी घटेगी। विकासक ने यह भी कहा है कि 27 **यूनिटों को एलओपी जारी किए गए हैं तथा इन यूनिटों में निर्माण कार्य उन्नत चरण पर है। विकासक ने कहा है कि दूसरा गेट लगाने की अनुमति प्रदान करने से निर्माण अवधि के दौरान भी इन यूनिटों के वाहनों का मूवमेंट सुगम होगा। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(ii) **मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्द एसईजेड में** 4 **स्थायी और अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध**

मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड 1578.41 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्द एसईजेड में** 4 **स्थायी और अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। औचित्य तथा इन फाटकों के लोकेशन को दर्शाने वाला मानचित्र अनुबंध** 5 **के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.22 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	**विकासक का नाम**	**लोकेशन**	**राज्य कोड**	**क्षेत्र**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूमि पर कब्जा**	**राज्य सरकार की सिफारिश**	**आवेदन की स्थिति**
i.	**श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड**	**बरासत, पश्चिम बंगाल**	**डब्ल्यूबी**	**आईटीईएस सहित आईटी / ईएच और एसडब्ल्यू**	11.35	**हां**	**हां**	**नया**
ii.	**लिमिटलेस प्रापर्टीज लिमिटेड**	**तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु**	**टीएन**	**मल्टी सर्विसेज**	592	**नहीं**	**हां, सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए**	8 **दिसंबर** 2008 **को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था**

मद संख्या 33.23 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज का अनुरोध

मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा नगवाड़ा गांव, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.876 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 12 **दिसंबर** 2008 **को**

अधिसूचित किया गया था। मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज ने संपूर्ण एसईजेड में प्रचालन एवं अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 23 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि यह नोट किया गया कि प्रस्तावित सह विकासक किसी अवसंरचना का विकास नहीं कर रहा है अपितु संपूर्ण एसईजेड के लिए केवल प्रचालन एवं अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करेगा। यह नोट किया गया कि सह विकासक के रूप में आने की बजाय आवेदक को यूनिट के रूप में आना चाहिए। अब प्रस्तावित सह विकासक ने सह विकासक करार में शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया है। शुद्धि पत्र दिनांक 28 फरवरी 2009 अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओगनाज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कंबाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.43.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 8 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स कंबाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 6187 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 9 अप्रैल 2008 उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ए एस कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टाडा, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड 1537.622 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स ए एस कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 50 एकड़ के क्षेत्रफल में रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) का निर्माण करके अवसंरचना के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 22 मई 2009 उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में विकसित बहु उत्पद्द एसईजेड में सह विकासक के लिए जीआईडीसी का अनुरोध

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। जीआईडीसी ने उक्त एसईजेड में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत

किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 28 **फरवरी** 2008 **उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.24 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड 179.145 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 23 **अप्रैल** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	प्रशासनिक / संपदा कार्यालय	2,000
2.	कामर्सियल कॉम्प्लेक्स	30,000
3.	मल्टीप्लेक्स	2,000
4.	व्यवसाय केन्द्र / सम्मेलन केन्द्र	25,00
5.	कम्युनिटी हाल	1,000
6.	मनोरंजन केन्द्र	500
7.	स्कूल	2,000
8.	गोल्फ कोर्स	20,000
9.	आवासीय / आवासन परिसर / अतिथि गृह / सेवा अपार्टमेंट्स	90,000
10.	हेल्थ क्लब / चिकित्सा केन्द्र / क्लीनिक	3,000
11.	डीजी सेट	600

(ii) बहरामपुर गांव, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / **आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 18.86858 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 4 **मई** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आईटी	1,82,672
2.	फूड कोर्ट	9,900
3.	क्लब / जिम	2,500
4.	रिटेल / कामर्सियल	17,000
5.	युटिलिटीज	6,800

6.	गार्ड हाउस*	500
7.	एसईजेड कार्यालय*	500

*** डिफाल्ट गतिविधियों की सूची में सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान की अनुमति है परंतु यह *500* वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।**

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासीय	33,00
2.	वाणिज्यिक कार्यालय - बीएफएसआई कार्यालय स्थान	1,15,571
3.	सर्विस अपार्टमेंट	16,500

(iii) साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.73 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 13 **अप्रैल** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	12,000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	15,000

(iv) गाचीबोली, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गाचीबोली, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.617 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 26 **दिसंबर** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	17,000

(v) सेक्टर 30, सिलोखेड़ा गांव, गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्‌वारा सिलोखेड़ा गांव, **गुड़गांव में आईटी** / **आईटीईएस एसईजेड** 12.06 **हेक्टेयर और** 2.91 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्रमश**: 6 **दिसंबर** 2006 **और** 19 **मार्च** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	**वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान**	38,000
2.	**कर्मचारियों के लिए आवास**	1,07,000

(vi) चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड इनफो सिटी डवलपर्स (**चेन्नई**) **लिमिटेड द्‌वारा चेन्नई**, **तमिलनाडु में आईटी** / **आईटीईएस एसईजेड** 13.2923 **हेक्टेयर और** 3.4384 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्रमश**: 16 **नवंबर** 2006 **और** 19 **मार्च** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	**वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान**	17,000
2.	**सर्विस अपार्टमेंट**	22,000

(vii) अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनजी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एनजी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्‌वारा अहमदाबाद, **गुजरात में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 105.5602 **हेक्टेयर और** 96.8707 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्रमश**: 3 **मार्च** 2008 **और** 17 **फरवरी** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	सुरक्षा कार्यालय, प्रवेश द्‌वार, एसईजेड के अंदर और चारदीवारी के समानांतर सुरक्षा प्रणाली के साथ वाच टावर	1000 वर्ग मीटर
2.	प्रशासनिक कार्यालय, फौव्वारा	1000 वर्ग मीटर
3.	क्लब हाउस, इंडोर और आउटडोर गेम्स एवं जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	10000 वर्ग मीटर
4.	कर्मचारी सुविधाएं जैसे कि एटीएम	100 वर्ग मीटर
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1000 वर्ग मीटर
6.	कार्यपालक फूड कोर्ट	1000 वर्ग मीटर

7.	**अतिथियों, आगंतुकों के लिए पार्किंग तथा रेस्ट रूम के साथ ट्रक पार्किंग, सर्विस स्टेशन, तोल सेतु, बस बे / स्टॉप**	10000 **वर्ग मीटर**
8.	**हरित क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए नर्सरी**	10000 **वर्ग मीटर**
9.	**पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के प्रयोग की सुविधा**	
10.	**गहरे ट्यूबवेल तथा रिसाव कूपों के माध्यम से वर्षा जल का पुनर्भरण**	
11.	**शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज**	1000 **वर्ग मीटर**
12.	**आवासीय**	
(क)	**सर्विस अपार्टमेंट**	3000 **वर्ग मीटर**
(ख)	1 1/2 **बीएचके**	100x60 **वर्ग मीटर**
(ग)	1 1/2 **बीएचके**	100 x 120 **वर्ग मीटर**
(घ)	3 **बीएचके**	50 x 150 **वर्ग मीटर**
(ड.)	4 **बीएचके**	20 x 200 **वर्ग मीटर**
13.	**शैक्षिक**	
(क)	**इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट**	8000 **वर्ग मीटर**
(ख)	**प्राथमिक स्कूल, कॉलेज**	5000 **वर्ग मीटर**
14.	**फायर फाइटर्स के साथ फायर स्टेशन**	200 **वर्ग मीटर**
15	**एयर कंडिशनिंग**	
16.	**स्वीमिंग पूल**	
17.	**पावर तथा पावर बैकअप सिस्टम (अपेक्षित क्षमता के डीजी सेट)**	
18.	**पेट्रोल पंप**	3000 **वर्ग मीटर**
19.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**	1000 **वर्ग मीटर**

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**
1.	**सुरक्षा कार्यालय, प्रवेश द्वार, एसईजेड के अंदर और चारदीवारी के समानांतर सुरक्षा प्रणाली के साथ वाच टावर**	1000 **वर्ग मीटर**
2.	**प्रशासनिक कार्यालय**	1000 **वर्ग मीटर**
3.	**पावर तथा पावर बैकअप सिस्टम (अपेक्षित क्षमता के डीजी सेट)**	
4.	**एयर कंडिशनिंग**	
5.	**स्वीमिंग पूल**	
6.	**फूड कोर्ट, कैंटीन**	4000 **वर्ग मीटर**
7.	**ट्रक के लिए पार्किंग, रेस्ट रूम के साथ पार्किंग, सर्विस स्टेशन, बस स्टॉप**	8000 **वर्ग मीटर**
8.	**हरित क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए नर्सरी**	10000 **वर्ग मीटर**
9.	**इलेक्ट्रिक / गैस से चलने वाली बसों के लिए बस स्टॉप**	
10.	**वेयर हाउस**	100000 **वर्ग मीटर**
11.	**सहायक यूनिटें**	100
12.	**व्यावसायिक कार्यालय**	4000 **वर्ग मीटर**

(viii) अनेकल तालुक, बंगलौर जिला, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड द्वारा बंगलौर जिला, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड 35.55 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 1 **अगस्त** 2006 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	क्रेच	240.00
2.	व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र	178.43
3.	जिम / हेल्थ क्लब	58.20

मद संख्या 33.25 : मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों में संशोधन

मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को 23 **फरवरी** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की गई** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्ग मीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्ग मीटर में)
1.	सर्विस अपार्टमेंट / होटल	15000 (100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे)	15000 (100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे)
	सर्विस अपार्टमेंट में निम्नलिखित सहायता सुविधाएं होंगी :		
(क)	स्वीमिंग पूल	150	150
(ख)	मनोरंजन क्लब	500	500
(ग)	जिम	150	150
(घ)	सम्मेलन हाल	500	500
(ङ)	कार्यपालक व्यवसाय केन्द्र	500	500
(च)	फूड कोर्ट	300	300

अब विकासक ने बताया है कि उन्होंने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवेदन किया है क्योंकि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के रूप में उनको अनुमोदित किया गया है। गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान करके अनुमोदन में संशोधन के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.26 : अधिसूचित एसईजेड को विखंडित करने तथा हस्तशिल्प सेक्टर में फर्नीचर की मदों को शामिल करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

130.689 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प सेक्टर के लिए एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को** 7 **दिसंबर** 2007 **को** का. आ. सं. 2113 (अ) **के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि वर्तमान में सरकार ने हस्तशिल्प एसईजेड के लिए भूमि की आवश्यकता को घटाकर** 10 **हेक्टेयर कर दिया है जबकि पहले इसके लिए** 100 **हेक्टेयर की आवश्यकता होती थी। विकासक ने अनुरोध किया है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट की वर्तमान रुझान के कारण कृपया एसईजेड में अतिरिक्त सेक्टरों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने अनुरोध किया है कि हस्तशिल्प के लिए अधिसूचित** 131 **हेक्टेयर में से** 10 **हेक्टेयर को आईटी संबद्ध सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जाए। उन्होंने हस्तशिल्प सेक्टर के अंग के रूप में फर्नीचर की मदों को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.27 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

इन मामलों पर फाइल पर विचार किया गया है तथा एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है। इनको अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(i) माहेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जे टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 **अक्टूबर** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(ii) रोजे का गुज्जर, गुड़गांव जिला, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड के लिए 15 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंटेक्स टावर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

14 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(iii) कृष्णराज पुरम, हुबली, व्हाइटफील्ड, बंगलौर पूर्व, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

8 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(iv) सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 **अगस्त** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(v) सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 16 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एल एंड टी फोनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

15 **जून** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(vi) शालिंगनल्लुर, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 **अगस्त** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(vii) रविरियाल गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टार्गेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 **अक्टूबर** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(viii) झुंड सराय विरान एवं भंगरोला, पटौदी रोड, गुड़गांव में आईटी एसईजेड के लिए 14 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

13 **नवंबर** 2010 **तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।**

(ix) भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 6 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

4 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(x) रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए 09 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

8 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xi) मगरपट्टा सिटी, गांव हदाप्सर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड के लिए 21 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

20 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xii) सिपकोट, सिरुसेरी में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

मद संख्या 33.28 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) नवी मुंबई, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 13.07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 अगस्त 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने कहा है कि हालिया आर्थिक मंदी के कारण आईटी उद्योग भारी दबाव में है। राजस्व के स्रोतों में अवसानिक गिरावट हुई है जिसकी वजह से अनेक आईटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी विस्तार योजनाओं को आस्थगित कर दिया है या उनमें कटौती की है। आईटी उद्योग के संबंध में अनिश्चितता को देखते हुए विकासक ने उक्त एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि आज तक अधिसूचित एसईजेड में विकास / निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और आज तक उन्होंने कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से स्थल का अलग से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है ताकि पुष्टि हो सके कि एसईजेड योजना के तहत विकासक द्वारा कोई ड्यूटी फ्री लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) रहेजा इनफो सिटी 1, थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के कुछ भाग को विमुक्त करने के लिए मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमेटेड का अनुरोध

मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रहेजा इनफो सिटी 1, थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 20.654 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 जून 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि हालिया आर्थिक मंदी के कारण ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के उनके प्रयास निष्प्रभावी साबित हुए हैं। अनेक ग्राहक, जो एसईजेड में विस्तार करने पर विचार कर रहे थे, विस्तार योजनाओं और व्यय में कटौती करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पीछे हट जाने तथा मंदी की रुझानों के कारण विकासक ने पहले से अधिसूचित क्षेत्रफल से 10.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि आज तक अधिसूचित एसईजेड में विकास / निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और आज तक उन्होंने कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से स्थल का अलग से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है ताकि पुष्टि हो सके कि एसईजेड योजना के तहत विकासक द्वारा कोई ड्यूटी फ्री लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। विकासक ने विमुक्त होने के बाद वचन पत्र, संशोधित मानचित्र तथा सर्वेक्षण संख्या प्रस्तुत किया है। उन्होंने वचन दिया है कि विमुक्त होने के बाद सन्निकटता तथा एसईजेड नियमावली के तहत निर्धारित अन्य मापदंडों का पालन किया जाएगा। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग क्षेत्र एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड द्वारा हजीरा, गुजरात में विकसित इंजीनियरिंग क्षेत्र एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 247.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 28 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में क्षेत्रफल को संशोधित करके 218.4258 हेक्टेयर किया गया। अब विकासक ने उक्त एसईजेड में 13.3283 हेक्टेयर शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। उप समाहर्ता तथा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सूरत का प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें प्रमाणित किया गया है कि विकासक 13.3283 हेक्टेयर विधिक एवं भारमुक्त भूमि का कब्जाधारक है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 19 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने उक्त एसईजेड में 63.70 हेक्टेयर शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने मानचित्र के साथ प्रस्तावित भूमि के लिए सूचकांक 2 प्रस्तुत किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.29 : क्षेत्र को परिवर्तित करने का अनुरोध

(i) महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को शामिल करके क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। उक्त एसईजेड 11.31 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 11 **जुलाई** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने वर्तमान सेक्टर में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.29 : लोकेशन को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

(i) हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का लोकेशन परिवर्तित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

10.11 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तात्तियानारम गांव, हयातनगर, जिला रंगारेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को** 12 **जुलाई** 2007 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी।** 30 **जुलाई,** 2007 **को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। इसके बाद औपचारिक अनुमोदन** 22 **अगस्त** 2007 **को मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के नाम में अंतरित किया गया। अब विकासक ने निवेदन किया है कि उन्होंने अपने नाम में भूमि अंतरित कराने के लिए एपीआईआईसी को आवश्यक भुगतान करने का वचन दिया है परंतु कुछ कानूनी बाधाओं के कारण भूमि का अंतरण नहीं हो सकता है। इस बीच एपीआईआईसी ने चरण** 3, **जैव प्रौद्योगिकी पार्क, कराकपट्टला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में** 10.11 **हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। विकासक ने यह भी बताया है कि चूंकि वे मानते हैं कि नई भूमि एसईजेड परियोजना के लिए उपयुक्त होगी और चूंकि यह जैव प्रौद्योगिकी पार्क के अंदर है इसलिए उन्होंने भूमि आवंटित करने के लिए एपीआईआईसी को आवेदन किया। अब उक्त भूमि आवंटित हो गई है तथा विकासक को उसका कब्जा मिल गया है, विकासक ने लोकेशन में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है। उपर्युक्त एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.31 : साइबर सिटी एसईजेड, गुड़गांव से प्रस्तावित मेट्रो कोरिडोर का मार्ग प्रदान करने की अनुमति देने के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्‌वारा साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.73 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 13 **अप्रैल** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने अनुरोध किया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) और आईटीएनएल ईएनएसओ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (आईईआरएस), आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इंडिया लिमिटेड (आईटीएनएल) और डीएलएफ के कंसोर्टियम द्‌वारा सार्वजनिक - निजी साझेदारी के माध्यम से सिकंदरपुर से एनएच-8 तक मेट्रो कोरिडोर का निर्माण करने का प्रस्ताव है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि मेट्रो कोरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा और एसईजेड से गुजरेगा। कोरिडोर का संदर्भगत नक्शा अनुबंध** 6 **के रूप में संलग्न है। मेट्रो रेल, गुड़गांव ने मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड से अनुरोध किया है कि सिकंदरपुर से एनएच** 8 **तक मेट्रो कोरडोर के लिए एसईजेड क्षेत्र के अंदर** 5 **से** 6 **पियर का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा है कि पियर के निर्माण की लागत पूरी तरह कंसोर्टियम द्‌वारा वहन की जाएगी तथा एसईजेड नीति के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चूंकि कोरिडोर एलिवेटेड होगा, इसलिए जिस भूमि पर पियर का निर्माण होगा वह डीसीसीडीएल के स्वामित्व में बनी रहेगी। निर्माण प्रक्रिया के दौरान कोरिडोर के दोनों ओर बैरिकेड लगे होंगे। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मेट्रो ट्रैक के नीचे आना जाना संभव होगा, अत: भूमि की सन्निकटता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा** 12 **मई** 2009 **के अपने पत्र में मेट्रो रेल गुड़गांव ने कहा है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद एसईजेड से होते हुए लोगों या सामग्रियों का कोई मूवमेंट नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि चूंकि यह परियोजना हरियाणा सरकार से अनुमोदन के उन्नत चरण पर है, इसलिए उन्होंने साइबर सिटी एसईजेड से होते हुए प्रस्तावित मेट्रो कोरिडोर को गुजरने देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.32 : सैद्‌धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्‌धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश / मानदंड 15 **जनवरी** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए। बहु उत्पाद एसईजेड से संबंधित दिशानिर्देश नीचे पुन: प्रस्तुत हैं** :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
बहु उत्पाद	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्‌वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्‌वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन एक साल के लिए मान्य है तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनिवार्य अधिग्रहण को निषिद्ध करने के संबंध में ईजीओएम के निर्णय के आलोक में, तीन साल की अवधि के अंदर 1000 हेक्टेयर सन्निकट भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो सकता है। बहु उत्पाद एसईजेड के मामले में तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड ने संगत नियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सके।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में, तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विकास का नाम, एसईजेड का लोकेशन तथा क्षेत्रफल	क्षेत्र	अनुमोदन का ब्यौरा	भूमि पर कब्जे की स्थिति
मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर, राजस्थान, 1000 हेक्टेयर	बहु उत्पाद	सैद्धांतिक अनुमोदन 17 जनवरी 2006 को प्रदान किया गया था। 16 जनवरी 2007 तक मान्य था। 16 जनवरी 2009 तक दो बार अवधि बढ़ाई गई।	63.5 प्रतिशत

इस मामले में 50 प्रतिशत भूमि पर कब्जा की शर्त पूरी हो रही है। एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 6 (2) जो अधिक से अधिक दो साल की अवधि तक समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है, में संशोधन को अलग से प्रोसेस किया जा रहा है। अत: विकासक के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है।

मद संख्या 33.33 : बंधवारी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स ओरियन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में विलंब को माफ करना और डेढ़ साल की अवधि के लिए दूसरी बार समय बढ़ाना

मैसर्स ओरियन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंधवारी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंधवारी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक

अनुमोदन प्रदान किया गया था। 07 अप्रैल 2006 को एलओए जारी किया गया था। 7 अप्रैल 2007 तक एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाई गई थी।

2. **वैधता अवधि समाप्त होने के 20 दिन बाद दूसरी बार सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक से अनुरोध प्राप्त हुआ। सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के मामले पर 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड, जहां न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है, के संबंध में दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। तथापि, वर्तमान मामले में एसईजेड 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह द्वितीय श्रेणी में आता है जहां दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए 60 प्रतिशत भूमि पर विकासक का कब्जा होना चाहिए। विकासक के अनुरोध से देखा जा सकता है कि विकासक का समूची भूमि पर कब्जा है और ऐसी स्थिति में वह औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है।**

3. **चूंकि विकासक ने वैधता अवधि समाप्त होने के 20 दिन बाद आवेदन किया है इसलिए विलंब को माफ करने के लिए अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है तथा प्रस्ताव को जिंदा रखने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीन साल के बाद अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.34 : प्लाट नंबर 3, सेक्टर 143 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डायमंड साफ्टवेयर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

मैसर्स डायमंड साफ्टवेयर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 22 सितंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 27 फरवरी, 2009 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। विकासक ने निवेदन किया है कि कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को प्लाट लौटा दिया है तथा 10 फरवरी 2009 को निष्पादित विलेख वापस कर दिया है। उपर्युक्त प्लाट का कब्जा भी 10 फरवरी 2009 को नोएडा प्राधिकरण को वापस कर दिया गया। औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए उनके अनुरोध पर फाइल पर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया। मामला अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या 33.35 : अधिकृत प्रचालनों के संबंध में गतिविधियों / यूटिलिटीज के अनुमोदन के लिए मैसर्स सीरम बायो फार्मा पार्क एसईजेड, पुणे में सह विकासक मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

पुणे में मैसर्स सीरम बायो फार्मा पार्क एसईजेड द्वारा बायोटेक एवं फार्मा क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र 23.1793 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 29 दिसंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया। सह विकासक का दर्जा प्रदान करने वाला पत्र 16 अगस्त 2007 को जारी किया गया।

उपलब्ध स्थान और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा प्रभावी औद्योगिक अवसंरचना और यूटिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए विकासक ने एसईजेड की यूनिटों को केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित औद्योगिक यूटिलिटी तथा अवसंरचना सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

1. 75 टन प्रति घंटा रॉ स्टीम का उत्पादन एवं वितरण
2. 25 टन प्रति घंटा प्योर स्टीम का उत्पादन एवं वितरण
3. 2000 घन फीट प्रति मिनट कंप्रेस्ड एयर का उत्पादन एवं वितरण
4. 60 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा पानी का शुद्धीकरण और शुद्ध जल का वितरण
5. 10000 घन मीटर प्रति घंटा पेयजल का भंडारण एवं वितरण
6. 36000 लीटर प्रति घंटा इंजेक्शन के लिए डिस्टिल्ड वाटर का उत्पादन एवं वितरण
7. 72000 किलोवाट प्रति घंटा हॉट वाटर का उत्पादन एवं वितरण
8. नाइट्रोजन गैस का भंडारण एवं वितरण
9. एलपीजी गैस का भंडारण एवं वितरण
10. बहिःस्त्रावी शोधन सुविधा
11. साफ सफाई सेवा तथा पर्यावरण को जीवाणु मुक्त रखने की सेवाएं

स्थानीय अनुमोदन समिति द्वारा आरंभिक प्रारंभिक अनुमोदन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। यह अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33.36 : एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड यूनिट को प्लास्टिक फ्लोर, रिप्रोसेस्ड फ्लोर, स्वीपिंग ग्रेन्यूल्स / रिप्रोसेस्ड प्लास्टिक एगलोमरेट्स के निर्माण और निर्यात के लिए 18 दिसंबर 1996 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने दो जून 1998 को उत्पादन आरंभ किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र ने सूचित किया है कि यूनिट ने प्रचालन के पांच वर्षों का पहला ब्लाक पूरा कर लिया है। दूसरे ब्लाक के लिए एलओपी 2 जून 2003 से नवीकृत किया गया। यूनिट ने अगले 5 वर्षों के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध

किया। बोर्ड ने एक साल के लिए अवधि बढ़ाई जो 2 **जून** 2009 **को समाप्त हो जाएगी। इसलिए यूनिट ने अगले एक साल के लिए एलओपी के विस्तार के लिए आवेदन किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र ने कहा है कि यूनिट ने संचयी रूप में सकारात्मक एनएफई प्राप्त की है।** 2 **जून** 2006 **से** 5 **वर्षों के लिए विदेश व्यापार निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है** :

1.	**निर्यातों का एफओबी मूल्य**	20448 **लाख रुपए**
2.	**आयातित सीजी का सीआईएफ मूल्य**	**शून्य**
3.	**आयातित आरएम और कंपोनेंट का सीआईएफ मूल्य**	17280 **लाख रुपए**
4.	**आयातित स्पेयर और उपभोज्य वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य**	**शून्य**
5.	**लाभांशों का प्रत्यर्पण**	**शून्य**
6.	**भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर भुगतान**	**शून्य**
7.	**विदेश यात्रा**	12 **लाख रुपए**
8.	**निर्यात पर कमीशन**	**शून्य**
9.	**कोई अन्य भुगतान**	**शून्य**
10.	**एनएफई अर्जन**	3108 **लाख रुपए**

5 **वर्षों के तीसरे ब्लाक में प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान अर्थात जून** 2008 **से मार्च** 2009 **तक यूनिट ने** 10.41 **करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया है [नियम** 53 **ए(एन) के अनुसार ईईएफसी लेखा में डीटीए बिक्री द्वारा]। इस यूनिट में** 800 **अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं जिसमें से** 60 **प्रतिशत से अधिक कामगार महिलाएं हैं।**

एसईजेड नियमावली के नियम 18(4) **(क) के अनुसार, प्लास्टिक स्क्रैप** / **अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल यूनिटों के एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।**

उल्लेखनीय है कि एसईजेड में प्लास्टिक यूनिटों के मंजूरी पत्रों के नवीकरण के मुद्दे पर 16 **मई** 2008 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें यह नोट किया गया कि इन यूनिटों के लिए मंजूरी पत्र की अवधि इस तथ्य के आधार पर बढ़ाई जा रही है कि इन यूनिटों में कर्मचारियों के हजारों परिवार इन यूनिटों पर आश्रित हैं।**

फाल्टा एसईजेड ने कहा है कि चूंकि यह उद्योग अग्नि प्रवण है इसलिए सिफारिश की जाती है कि यूनिट की वार्षिक उत्पादन क्षमता को 36000 **मीट्रिक टन की मौजूदा क्षमता से घटाकर अब** 24000 **मीट्रिक टन किया जाए। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 33.36 : सन्निकटता में ढील देने के लिए मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड द्वारा सदरपेट, करसूर, पांडिचेरी में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। 21 अगस्त, 2006 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। एडीसी, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें इस बात का उल्लेख है कि उक्त एसईजेड को एक सार्वजनिक रोड दो भागों में बांट रही है और यह सदरपेट और करसूर नामक दो गांवों को जोड़ने के लिए है। अब मुख्य सचिव, पुड्डूचेरी सरकार ने सूचित किया है कि उक्त एसईजेड को स्थापित करने के लिए गठित एसपीवी ने भूमि के टुकड़ों के बीच सन्निकटता स्थापित करने का वचन दिया है। इसके अलावा चूंकि इस मामले में औपचारिक अनुमोदन की वैधता 20 अगस्त 2009 को समाप्त हो रही है इसलिए मुख्य सचिव, पुड्डूचेरी सरकार ने 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मामले की सिफारिश की है। उपर्युक्त एसईजेड के संबंध में सन्निकटता की शर्त में ढील देने तथा 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।